बच्चों के अधिकारों की करें रक्षा : परवीन

पटना (एसएनबी)। बच्चों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार और समाज के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की भी है। इस बात से इत्तेफाक रखते हुए समाज कल्याण विभाग ने राज्य बाल सुरक्षा समिति का गठन किया है। जिला स्तर पर समिति का शीघ्र ही गठन कर दिया जाएगा। ये बातें युनिसेफ व सेव द चिल्ड्रेन संस्था के तत्वावधान में सोमवार को एलायंस फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन,बिहार की ओर से आयोजित विचारगोष्ठी में समाज कल्याण मंत्री श्रीमती परवीन अमानुल्लाह ने कही। कार्यक्रम में अड़तीस जिलों के स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

श्रीमती अभानुल्लाह ने कहा कि केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस नये फ्लैगशिप कार्यक्रम' समेकित बाल सुरक्षा योजना' को बिहार की सरजमीं पर उतारने के लिए प्रभावकारी रणनीति बनानी होगी। समाज कल्याण विभाग के सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि समेकित बाल सुरक्षा योजना स्वयं ही सिविल सोसाइटी संगठनों की सहभागिता पर बल देता है। यह योजना सरकार एवं सिविल सोसाइटी संगठनों की साझेदारी से कार्यरत होगी। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद सुमन लाल और डेजी नारायण ने इस मौके पर भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर युनिसेफ के नरेन भी मौजूद थे।